

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

राँची, दिनांक— / / 2024 ई०।
संख्या-4/सै०क०(स्था०)-103/2018/ विभागीय अधिसूचना सं०-4094, दिनांक-
20.09.2022 द्वारा जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी, चाईबासा के पद पर अनुबंध के आधार पर नियुक्त
कर्नल किशोर सिंह (अ०प्रा०) की अनुबंध अवधि दिनांक-02.01.2024 से दिनांक 01.01.2025 तक के
लिए विस्तारित की जाती है।

2. कर्नल किशोर सिंह (अ०प्रा०) को नियमानुसार मासिक संविदा भत्ता भुगतये होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(राधेश्याम प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक - 4/सै०क०(स्था०)-103/2018/ राँची, दिनांक— / / 2024 ई०।
प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को राजकीय गजट के अगले अंक में
प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक - 4/सै०क०(स्था०)-103/2018/ राँची, दिनांक— / / 2024 ई०।
प्रतिलिपि:- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक - 4/सै०क०(स्था०)-103/2018 248.../ राँची, दिनांक- 11/01/2024 ई०।
प्रतिलिपि:- महानिदेशक, पुर्नवास महानिदेशालय, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई
दिल्ली/सचिव, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/माननीय राज्यपाल के
प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव/अपर मुख्य सचिव
के प्रधान आप्त सचिव/नोडल पदाधिकारी, विभागीय पोर्टल, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग,
झारखण्ड, राँची/निदेशक, राज्य सैनिक कल्याण निदेशालय, झारखण्ड, राँची/कर्नल किशोर सिंह
(अ०प्रा०), जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी, चाईबासा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/1/24

सरकार के संयुक्त सचिव।

Kishor